प्रेस नोट **दिनांक 12/04/2026**

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 05 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 43 मामलों में से 16 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 12.04.2026 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 43 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 16 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 05 दंपति सकीना /सलाउद्दीन , रेशमा/फिरो,अन्तीमा/अवतार,आंचल/धर्मेन्द्र,नूरशबा,उपेन्द्र हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 10 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 01 मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 26.04.2026 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे ,शहिद पैरिस रहे ।साथ में मन्जू सिंह इन्स्पेक्टर , एस.आई. समरजीत यादव एस.आई. इन्द्रभषण पाण्डेय ,महिला आरक्षी पूनम पाल, राजलक्ष्मी तथा ,करिश्मा रहीं।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9999/- (नौ हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9999 /- (नौ हजार नौ सौ निन्यानवे) रुयपये पीडित रजत उपाध्याय निवासी पाऊस दोहरीघाट की कुल 9999 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

लापरवाही/उतावलेपन से मृत्यु कारित करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक य जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस श्री अनुप कुमार के पर्येवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 12.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 09.04.2026 के रात्रि 23.00 बजे मधुबन रोड स्थित टाइटन हास्पिटल के आगे बाईक सवार तीन व्यक्तियों की चार पहिया TUV 300 नं0 HR26CY 5491 के चालक अभय राजभर पुत्र रामप्यारे राजभर नि0 मिर्जापुर काझा थाना

रानीपुर जनपद मऊ द्वारा लापरवाही व तेजी से चलाकर टक्कर मारने व जिससे यमहा RX न0 UP54AH9547 पर सवार तीनों व्यक्तियों 1. आजाद यादव पुत्र श्री शिवनाथ यादव 2. बेचन यादव पुत्र श्री रामसुरत यादव 3. प्रमोद यादव पुत्र श्री अमेरिका यादव नि0गण ग्राम बीबीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ की मृत्यू हो जाने व मौके से चारपहिया चालक अभय राजभर उक्त के भाग जाने पर उसकी तलाश करने पर आज दिनांक 12.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर सुबह पांच बजे अभियुक्त अभय राजभर उपरोक्त को उसके घर के पास से घोसी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अभय राजभर पुत्र रामप्यारे राजभर नि0 मिर्जापुर काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 146/26 धारा 281/106(1) BNS थाना घोसी जनपद मऊ।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. सोना पुत्र गुलाब निवासी मुसरदा 2. रामानन्द मिश्रा पुत्र वीरबहादुर मिश्रा निवासी निजामुद्दीनपुरा 3. रमावती देवी पत्नी गुलाब 4. पूजा पुत्री गुलाब निवासीगण मुसरदा मोड़ थाना कोतवाली नगर 5. मंजीत पुत्र जयप्रकाश निवासी परदहां थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चलान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 12.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 48 टीम गठित कर जनपद के 55 स्थानों पर बदल बदलकर 1600 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 416 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

ग्राम रणवीरपुर मे 01 व्यक्ति की हत्या की घटना मे संलिप्त 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से निशां देही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डण्डा व 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद स्कूटी बरामद होना -

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 12.04.2026 को मु0अ0सं0 130/2026 धारा 103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएसस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार तथा उनके निशां देही से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल बांस का डण्डा व अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद स्कूटी बरामद होना 01 ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम रणवीरपुर मे दिनांक 09.04.2026 को 01 व्यक्ति (मृतक शिवम सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम हथौटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष) की सर पर मारकर हत्या किया जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. अनमोल सिंह उर्फ छांगुर पुत्र झुन्नू सिंह निवासी रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ 2. अन्य साथी अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । घटना को साक्ष्य संकलन एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर गांव रणवीरपुर की ही लड़की से प्रेम प्रसंग व मोबाइल पर बात करने के कारण मृतक शिवम सिंह की हत्या किये जाने की बात प्रकाश मे आयी । इसी क्रम मे प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराहियान के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 नफर अभियुक्त गण क्रमशः 1. अनमोल सिंह उर्फ छांगुर पुत्र तेजप्रताप सिंह उर्फ झुन्नू सिंह निवासी ग्राम रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र वर्ष 22. अंचल राजभर पुत्र योगेन्द्र राजभर निवासी रणवीरपुर थाना सरायलखनसी जनपद मऊ उम्र वर्ष 19 को बहादुरगंज बार्डर तिराहे के पास के पास से दिनांक 12.04.2026 को अन्तर्गत धारा 103(1),3(5) बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया तथा उनके निशां देही से घटना मे प्रयुक्त आलाक्तल बांस का डण्डा व अदद 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद व अभियुक्त अनमोल सिंह की जामा तलाशी से कुल 60 रूपया नगद बरामद हुआ । विस्तृत पूछताछ करने पर दोनो बताया कि ग्राम रणवीरपुर की लड़की जिससे सभी बात करते थे और मृतक शिवम सिंह जो जहानागांज आजमगढ का रहने वाला है और फेकल स्लज ट्रीटमेन्ट प्लाट कन्धेरी मे गार्ड की नौकरी करता था और गांव रणवीरपुर मे आता जाता था । शिवम सिंह भी उससे चोरी छिपे मिलने आता था । इस बात की जानकारी हम लोगो को हुयी तो मार डालने का योजना बनायी गयी । योजना के अनुसार

दिनांक 08.04.2026 की रात्रि लगभग समय 8.30 बजे अलग-अलग मोटर साइकिल व स्कूटी से लेकर ग्राम रणवीरपुर के बाहर नदी के किनारे ले गये। शिवम के सिर पर लाठी से कई बार मारा गया जिससे वह लहूलुहान होकर वही खेत मे गिर कर मर गया, हम लोग उसी मोटर साइकिल, स्कूटी व बांस का डण्डा लेकर भाग गये। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. अनमोल सिंह उर्फ छांगुर पुत्र झुन्नू सिंह निवासी रणवीरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष
2. अंचल राजभर पुत्र योगेन्द्र राजभर निवासी रणवीरपुर थाना सरायलखनसी जनपद मऊ उम्र वर्ष 19

अपराधिक इतिहास अनमोल सिंह-

मु0अ0सं0 328/2025 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस थाना सरायलखंसी मऊ
मु0अ0सं0 130/2026 धारा 103(1),3(5) बीएनएस थाना सरायलखंसी मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. घटना मे प्रयुक्त बांस का डण्डा
2. 01 अदद मोटर साइकिल
3. 01 अदद स्कूटी।